

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 90] नई दिल्ली, बुधवार, मई 14, 1970/वैशाख 24, 1892

No. 90] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 1970/VAISAKHA 24, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 14th May 1970

G.S.R. 800.—In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 23 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 26-Customs, dated the 1st March, 1970, the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all the goods specified in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), from the special duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 29 of the Finance Act, 1970 (19 of 1970).

[No. 51/F. No. 21/7/70-Cus. I]

J. DATTA, Dy. Secy

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 14 मई 1970

सा० नं० नि० 800.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 26—सीमा शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1970 को अधिकांश करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी माल को वित्त अधिनियम, 1970 (1970 का 19) की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन उम पर उद्-ग्रहणीय विशेष सीमाशुल्क से एतद्वारा छूट देती है।

[सं० 31/फा० सं० 21/7/70—सीमा शुल्क।]

ज्योतिर्मय दत्त, उप-सचिव।